

आरटीआई प्रकटीकरण

1. बजट एवं कार्यक्रम

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
2.5	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रियायतों, परमिट या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1) (बी) (xiii)]	<p>(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण</p> <p>(ii) दी गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए</p> <p>क) योग्यता मानदंड</p> <p>ख) रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया</p> <p>ग) रियायतें/परमिट या प्राधिकार दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता</p> <p>घ) प्राधिकरणों को रियायतें/परमिट देने की तारीख</p>	लागू नहीं